न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 21/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/30

रामचन्द्र पुत्र लालाराम गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर

—अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदक के आवेदन दिनांक 20.12.2021 निर्धारित समय पर सूचना नहीं दी गई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ढाई सौ रूपये प्रति दिन जुर्माना अधिकतम 25000 रूपये दण्डित कर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक/सूकाअ/23/215 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार प्रार्थी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम द्वारा जो बिन्दू सं. 1 से 7 की सूचना चाही गई थी वह सूचना पूर्व में कार्यालय के पत्रांक/सू.का.अ./22/1748 दिनांक 26.04.2022 एवं 1773–74 दिनांक 11.05.2022 को उपलब्ध करवाई जाकर प्रार्थी से प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई थी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सात बिन्दूओं पर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया। इस पर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्रांक सूकाअ/22/1748 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाई गयी कि "आप द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना बिन्दू सं. 01 से 07 के संबंध में उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां इस पत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं।" उपलब्ध करवाई गयी सूचना पत्र पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर अंकित हैं।

पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट हैं कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी/आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं होने से अपील सारहीन एवं खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ [illegible] अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को [illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:25:44 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पना अग्रवाल)

I.A.S

जिला कलक्टर

अनूपगढ़